मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के 99वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 22.06.2020 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

उपस्थितिः-

1.	श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री रणवीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुनील श्री पांथरी, अपर सचिव, आवास	सदस्य
4.	श्रीमती अमिता जोशी, अपरसचिव, वित्त	सदस्य
5.	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून।	सदस्य
6.	श्री टी0लेप्चा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7.	श्री विजल दास, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
8.	श्री एस0सी0पंत,अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
9.	श्री गिरीश गुणवन्त, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दे0दून	
10.	श्री एस0एल0सेमवाल, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण दे0दून	
11.	श्री एच0एस0बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी	

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण /आयुक्त गढ़वाल मण्डल का स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 98वी बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या को पढ़ा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 99वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:—

विषय क्रमांक 1:— (अ) वित्तीय वर्ष 2019—20 के अनुमानित आय—वास्तविक व्यय का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट राशि के सापेक्ष व्यय किये गये है, अतः वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमोदन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्यय का अनुमानित प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय के प्रस्ताव विभिन्न अनुभागो से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (विस्तृत प्रस्ताव संलग्न है)

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं आगामी बोर्ड बैठक में आडिट की हुई बैलेन्स शीट भी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 2:— मसूरी स्थित निर्माणाधीन पार्किंग/टाउन हॉल की ऊँचाई में शिथिलता के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन उपविधि में निर्धारित मानको का उल्लंघन किन परिस्थितियों में किया गया सम्बन्धित अभियंता के द्वारा की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में भी जॉच की जाये। इसकी जॉच हेतु एक समिति बनायी जाये तत्पश्चात् मन्तव्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 3:— रायपुर रोड (सर्वे चौक से सहस्त्रधारा कॉसिंग तक) में सडक चौडीकरण हेतु भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड देहरादून को 1607.28 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

विषय क्रमांक 4:— मौजा—देहराखास के खसरानम्बर 823ग क्षेत्रफल 730.00 वर्गमीटर भूमि जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड के कार्यालय भवन हेतु आंवटन के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्णय लिया गया कि विक्रय पत्र का स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्री शुल्क भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा व्यय किया जायेगा।

विषय क्रमांक 5:— ग्राम खालागांव खसरा नं0 36क, ख, 37क तथा 38ख कुलरकबा 1790.0 वर्गमीटर को देहरादून महायोजना –2025 (संशोधित) में त्रुटिवश वन में प्रदर्शित भू—उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से वन में प्रदर्शित भू—उपयोग को कृषि भू—उपयोग में परिवर्तन करने हेतु शासन को सन्दर्भित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 6:— ग्राम अम्बीवाला तहसील विकासनगर जिला देहरादून पर एच.पी.सी.एल. रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु भूमि का भू—उपयोग सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त पर विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 7:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2336/19—20 श्री सत्य नारायण डबराल पुत्र श्री पूरनचन्द डबराल द्वारा खसरा नम्बर 26,27,30मि व 31मि मौजा मौथरोवाला (कारगी बंजारावाला रोड पर) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 8:— शमन मानचित्र संख्या—सी सी—0181/19—20आर ई—1 श्री संजीव मारवाह एवं श्री विशाल मारवाह पुत्रगण श्री हरकिशन लाल मारवाह एवं अन्य द्वारा खसरा नं0 47क, 47ख, 65 ग मौजा मालसी परवादून देहरादून पर कुल क्षेत्रफल 0.3055 हैक्टेयर पर वैडिंग प्वाइंट के शमन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मौके पर मानक पूर्ण है, तो प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक 9:— जय भगवान एजुकेशन सोसाइटी द्वारा श्री लक्ष्मणदास सिंघल द्वारा आवेदित मानचित्र पत्रावली संख्या सी—2325/19—20 खसरा नम्बर—2234, 2253, 2255, 2254, 2255, 2256, 2257, 2266, 2267, 2268 क, 2268ख मौजा शंकरपुर, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में टेक्निकल इन्स्टीट्यूट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 10:— श्री चिराग मेहरोत्रा द्वारा मौजा सेवलांखुर्द देहरादून में पेट्रोलपम्प (फिलिंग स्टेशन) के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थलानुसार सड़क की चौड़ाई कम है इस प्रकार के अन्य प्रकरण पूर्व में शासन को भेजे गये है उनमें निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर भी उसी प्रकार कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 11:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2221/19—20 श्री अमन सिंह रावतपुत्र श्री चरण सिंह रावत खसरा संख्या 129ख पुराना 473मि0 मौजा बडासी ग्रांट, तहसील देहरादून, परगना परवादून जिला देहरादून में रायपुर—थानो मार्ग पर फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प) स्थापना स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थलानुसार सड़क की चौड़ाई कम है। इस प्रकार के अन्य प्रकरण पूर्व में शासन को भेजे गये है उनमें निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर भी उसी प्रकार कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 12:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2126/19—20 श्रीमती प्रेरणा व्यास पत्नि श्री अंशुलव्यास व श्री अंशुलव्यास पुत्र श्री हर्षमणी व्यास खसरा नम्बर 117 मि,118 मि ग्राम अजबपुरकंला (माता मन्दिर रोड पर) परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोलपम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थलानुसार सड़क की चौड़ाई कम है इस प्रकार के अन्य प्रकरण पूर्व में शासन को भेजे गये है उनमें निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर भी उसी प्रकार कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 13:— मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—2414/19—20 श्रीमती सरिता शर्मा पुत्र श्री प्रेमदत्त शर्मा खसरा नम्बर 723ज मौजा पौंधा (नन्दा की चौकी से पौंधा जाने वाली सडक पर) देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 14:—मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0029/20—21 श्रीमती प्रिया कश्यप पत्नि श्री अनिल कुमार खसरा नम्बर 310 व 311 मौजा मौहब्बेवाला (मुख्य सहारनपुर मार्ग पर) तहसील देहरादून जिला देहरादून पर पेट्रोलपम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 15:—शमन मानचित्र संख्या—ओ.सी—0424/19—20 श्रीमती सन्ध्या गुप्ता पत्नी श्री अरूण कुमार गुप्ता द्वारा खसरा नं0 26ख मि0,27क मि0 मौजा जमनीवाला परवादून देहरादून पर कुल क्षेत्रफल 4,272.00 वर्गमीटर पर ईको रिजोर्टस के शमन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि मार्ग की चौड़ाई मात्र 5.95 मीटर ही है अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय कमांक 16:— श्री राजीव गोयल मकान न0 185 मेन चकराता रोड नगर पालिका परिषद,विकासनगर, देहरादून में रिटेल शोरूम भवन मानचित्र संख्या सी—2378/19—20 आर0इ0—1 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 17:— एच0आई0जी0 आई0एस0बी0टी0 आवासीय योजना हेतु विद्युत फीडर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 18:— मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ढांचे के पुर्नगठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए आउटसोर्स/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निम्नपदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आउटसोर्स के पदो पर नियुक्ति कन्सलटैन्ट फर्म के माध्यम से की जाये। इस हेतु कन्सलटैन्ट फर्म का चयन किया जाये।

विषय कमांक 19:— कोरोनामहामारी के सम्बन्ध में ।

कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में अवस्थापना निधि से रू0 2.51 करोड़ सहयोग राशि का योगदान किया गया है। जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त बजट में स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 20:—मानचित्र पत्रावली संख्या—ओसी—0770/19—20 श्रीमतीराकेश धवन ,श्रीमती श्रुति धवन, श्रीमती सोनल धवन व श्रीमती रेनू शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 69घ —80क,80ख (पुराना नम्बर 55/1) पार्ट 79,81,82,83,84 सम्पत्ति संख्या—178 ग्राम सिनौला मसूरी डायर्वजन रोड (मसूरी बाईपास रोड) परगना परवादून जिला देहरादून पर होटल मानचित्र की शमन /स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 21:—प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित "आल्यम्" आवासीय योजना के HIG, MIG & Studio Dwelling Units (DUs) के Bulk Selling किये जाने के सम्बन्ध मेंपूर्व 98वीं बोर्ड के विषय कमांक 26 मेंबोर्ड द्वारा गठित समिति के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री पी0सी0खरे के स्थान पर श्रीमती अमिता जोशी,अपर सचिव, वित्त का नाम समिति में किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही श्री एच0एस0 बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी, एम0डी0डी0ए0 को भी समिति में नामित किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 01:—

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी को आवश्यकतानुसार किराये पर आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्राधिकरण अपनी भूमि पर उक्त अधिकारियों हेतु आवास बनाये जाने हेतु भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।